न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 26/2022

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 14/2023 व 15/2023

श्री मूलाराम व अन्य

.........प्रार्थीगण

बनाम

श्री परमेश्वर व अन्य

......अप्रार्थीगण

प्रारम्भिक आपत्ति अपील पोषणीय नहीं होने बाबत।

उपस्थित :–

1– श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2– श्री सुण्डाराम जाट, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से।
3– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक – 10.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील रूपनगढ के राजस्व ग्राम सुरसुरा स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 76 रकबा 0.5663 हैक्टर के सहखातेदार श्री परमेश्वर पुत्र श्री रामलाल, श्री शंकर पुत्र श्री जगदीश एवं श्रीमति गलकू पत्नि श्री जगदीश, समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर एवं लवली प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, 47 ए, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता जरिये डायरेक्टर श्री किशनगोपाल बियाणी पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल बियाणी, निवासी कलकत्ता द्वारा तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष आपसी सहमति से अपनी खातेदारी कृषि भूमि का बंटवारा करने बाबत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश किया। तहसीलदार रूपनगढ द्वारा बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 22.07.2021 को निर्णय पारित किया। उक्त निर्णय अनुसार श्री परमेश्वर पुत्र श्री रामलाल, श्री शंकर पुत्र श्री जगदीश एवं श्रीमति गलकू पत्नि श्री जगदीश, समस्त जाति जाट के हिस्से में खसरा नम्बर 76/1 रकबा 0.2265 हैक्टर एवं लवली प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड, 47 ए, जकरिया स्ट्रीट, कलकत्ता जरिये डायरेक्टर श्री किशनगोपाल बियाणी पुत्र स्व0 श्री रामेश्वरलाल बियाणी, निवासी कलकत्ता के हिस्से में खसरा नंबर 76/2 रकबा 0.3398 हैक्टर किस्म बारानी–2 बाबत बंटवारा स्वीकार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 22.07.2021 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकॉर्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पो0 संख्या 1 से 3 जरिये वकील उपस्थित हुए। प्रकरण के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति (अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955) अपील पोषणीय नहीं होने बाबत पेश किया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

अपीलान्ट की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने के पश्चात पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र हेतु नियत की गई।

हमने प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील रेस्पो0/अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में पूर्व में तीन अलग–अलग अपील संख्या 49/2021 अन्जू व अन्य बनाम परमेश्वर व अन्य, 50/2021 प्रेम व अन्य बनाम परमेश्वर व अन्य एवं 51/2021 गौरया व अन्य बनाम परमेश्वर व अन्य इन्ही पक्षकारों के मध्य एवं समान तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गई थी। इन अपीलों पर उभयपक्ष की विधिनुसार गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 08.04.2022 से मान0 न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज की जा चुकी हैं। अपीलान्ट्स को समान वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उन्होने कथन किया कि अपीलान्ट्स ने जानबूझकर वास्तविक तथ्य छिपाते हुए समस्त खातेदारों को पक्षकार बनाये बिना विधि विरूद्ध रूप से विधिक प्रावधानों के विपरीत अपील प्रस्तुत की है, जबकि तीनों अपीलें गुणावगुण पर सारहीन व भारहीन होने से खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट्स वादग्रस्त आराजी में पूर्व में प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलों के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट्स के रूप में पक्षकार थे एवं इन्हे उक्त अपीलें निर्णित होने की प्रारम्भ से ही जानकारी है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स की अपील प्रथम दृष्टया ही विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में उन्होने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त की जावे।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि विचाराधीन अपील तहसीलदार रूपनगढ के सहमति बंटवारा आदेश दिनांक 22.07.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सुनवाई हेतु ग्रहण की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने व रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। उनका कथन है कि पूर्व में प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की अपीलें प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा स्वयं के अधिकारों की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेश दिनांक 22.07.2021 के विरूद्ध विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई है जिसमें किसी भी तथ्यों को नहीं छिपाया गया है, अपील गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का यह कथन सही है कि अपीलान्ट पूर्व में प्रस्तुत अपीलों में पक्षकार रहे हैं किन्तु पूर्व में अपीलान्ट पर किसी प्रकार की तामिली नहीं हुई एवं ना ही वे न्यायालय में उपस्थित हुए। अन्त में उन्होने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि समान आक्षेपीय आदेश, पक्षकारों व विषय वस्तु बाबत पूर्व में इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील प्रकरण संख्या 51/2021 बउनवान गौरया व अन्य बनाम परमेश्वर व अन्य में उभयपक्ष की विधिनुसार गुणावगुण पर सुनवाई की जाकर दिनांक 08.04.2022 से आदेश पारित किया जाकर अपील निरस्त की जा चुकी है। इस प्रकार प्रकरण पूर्व निर्णित/पूर्व न्याय (Res Judicata) की श्रेणी का है। अपीलान्ट्स द्वारा पुनः समान पक्षकारों व तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपीय आदेश को चुनौती दी गई है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

विचाराधीन अपील में पुनः उभयपक्ष की सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से आदेश पारित किया जाना व इस अपील के माध्यम से अपीलान्ट्स को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना हम न्यायसंगत व विधिनुकूल नहीं समझते हैं। वकील अपीलान्ट्स का यह कथन कि पूर्व अपील में अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, अनुचित व असत्य कथनों पर आधारित है चूंकि अपीलान्ट्स पूर्व अपील में पक्षकार (रेस्पो0) के रूप में संयोजित होकर बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र (अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955) स्वीकार किये जाकर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय व संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द शर्मा)
अपर कलेक्टर,
अजमेर

(कैलाश चन्द शर्मा)
अपर कलक्टर अजमेर